ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/8052/2006/चित्तौड़गढ़ अहमद खां बनाम सरदारखां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अशोकनाथ योगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री के0के0पुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी।

––

निर्णय

दिनांक 23–01–20

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण सं0 91/2005 में पारित किए गए आदेश दिनांक 18–10–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा आदेश 8 नियम 6 (ग) सी0पी0सी0 के प्रा0 पत्र को निरस्त कर दिया।

हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम मौजूदा वाद में चलने योग्य नहीं था, क्योंकि उक्त विवाद का निस्तारण स्वतंत्र वाद के द्वारा ही किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति (आदेश 8 नियम 6 (सी) सी0पी0सी0 में

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/8052/2006/चित्तौड़गढ़ अहमद खां बनाम सरदारखां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिए गए प्रावधान) को नजरअंदाज कर प्रार्थी द्वारा पेश किए गए प्रा0 पत्र को सरसरी तौर पर खारिज करने में त्रुटि की है जबकि उनका यह दायित्व था कि वह आदेश 8 नियम 6 (सी) में दिए गए प्रावधान के अनुसार इस बात को निर्णित करते कि क्या प्रतिवादीगण के द्वारा मांगा जा रहा अनुतोष काउन्टर क्लेम के माध्यम से दिया जा सकता है अथवा उसके लिए दावा पेश करना पड़ेगा ? परन्तु मौजूदा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति को समझे बिना सरसरी तौर पर प्रार्थी के प्रा0 पत्र को खारिज किया है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है, अतः निगरानी स्वीकार कर उसे निरस्त किया जावें। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित एवं विधिसम्मत् है, जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में माना कि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम विवादित आराजी से संबंधित है व किस पक्षकार का हक है अथवा नहीं या किसका कितना हक है, यह वाद में तनकियात कायम कर साक्ष्य के पश्चात् ही सुनिश्चित किया जा	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/8052/2006/चित्तौड़गढ़ अहमद खां बनाम सरदारखां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सकता है, ऐसी स्थिति में काउन्टर क्लेम को इस स्तर पर खारिज किया जाना न्यायसंगत नहीं है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष उचित है तथा उनके द्वारा प्रार्थी द्वारा पेश किए गए प्रा0 अन्तर्गत आदेश 8 नियम 6 (ग) को खारिज करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं की गई है। अतः निगरानी को खारिज किया जाना हम उचित समझते है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–2006 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (शिखर अग्रवाल) सदस्य	